पावटा उपजिला अस्पताल को लाड़ाकाबास स्थानांतरित करने के विरोध में सौंपा ज्ञापन

- आमजन द्वारा पावटा उपखंड कार्यालय मे अनिश्चित कालीन धरना प्रदर्शन

धरना प्रदर्शन शुरू करते हुए मुख्यमंत्री के नाम पावटा उपखंड अधिकारी कपिल उपाध्याय को एक ज्ञापन सौपा।

पावटा। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पावटा को विगत दिनों विधानसभा में प्रस्तुत किये गये राज्य बजट2024-25में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पावटा को उपजिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने के बाद अन्यत्र कही स्थानांनतरित ना कर यथावत पावटा मे रखने को लेकर सोमवार को पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर के नेतृत्व मे जनप्रतिनिधियों व आमजन ने उपखंड कार्यालय पावटा के सामने अनिश्चितकालीन अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू करते हुए मुख्यमंत्री के नाम पावटा उपखंड अधिकारी कपिल उपाध्याय को एक ज्ञापन सौपा। ज्ञापन सौपते हुए पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर, सामाजिक कार्यकर्ता ओपी बायला, सुरेश शर्मा सहित जनप्रतिनिधियों व आमजन ने रोष प्रकट करते हुए बताया कि उपखंड स्तर पर ग्राम पावटा तहसील पावटा मे स्थित सीएचसी को उपजिला अस्पताल का दर्जा मिलने के बाद उक्त उपजिला अस्पताल को पावटा सीएचसी से लाड़ाकाबास स्थानांनतरित किया जा रहा है।

उपजिला अस्पताल पावटा को लाड़ाकाबास स्थानांनतरित करने से मरीजो के समय व धन का अधिक व्यय होगा। क्योंकि लाड़ाकाबास में जिस जगह उपजिला अस्पताल पावटा को ले जाया जा रहा है वहां पर साधनों का आवागमन नहीं है। जिसके कारण गंभीर स्थिति में मरीजों को वहां ले जाया गया तो वह रास्ते में ही अकाल मृत्यु का शिकार हो जाएंगे।

उक्त उपजिला अस्पताल उपखंड स्तरमुख्यालय पावटा सीएससी पर होना अतिआवश्यक है। क्योंकि उपखंड क्षेत्र व आसपास के इलाकों से लोग अत्यधिक मात्रा में इलाज के लिए लोग पावटा सीएससी ही आते हैं। पावटा उप जिला अस्पताल को लाड़ाकाबास स्थानांनतरित करना न्यायोचित व कानूनी सही नही है। पता मुख्य बस स्टैंड से महिला, बुजुर्ग, बच्चे, दिव्यांग आवागमन नहीं होने की वजह से लाड़ाकाबास नहीं पहुंच सकते हैं। उक्त उपजिला अस्पताल पावटा उपखंड मे स्वीकृत हुआ है। पावटा सत्ताईसा क्षेत्र की आबादी लगभग 2.50 लाख से अधिक है ज्यों कि पावटा कस्बे से सीधी जुड़ी हुई है। पावटा उपजिला अस्पताल की अन्य जगह लाड़ाकाबास की पावटा बस स्टैंड से 6 किलोमीटर की दूरी है। वही उपजिला अस्पताल पावटा के लिए वर्तमान राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पीछे, डॉ. शंकर दयाल शर्मा महाविद्यालय प्रांगण ललाणा रोड, भोमिया जी मंदिर के पास टसकोला रोड, ढाणी खारवाल शिवनगर मे सरकारी भूमि उपलब्ध है। जहाँ उपजिला अस्पताल बनाया जा सकता है। वही अनिश्चित कालीन धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर ने कहाँ कि बजट मे पावटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उपजिला अस्पताल में क्रमोन्नत किया गया है।

उपजिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने के बाद पावटा सीएससी का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। और आमजन को यह कहकर गुमराह किया जा रहा है कि पावटा सीएससी यथावत रहेगी। प्रशासन द्वारा उप जिला अस्पताल के लिए पावटा मे भूमि नही है कहकर गुमराह किया जा रहा है। वही लगभग 70 हजार की आबादी के अलावा जिले के दूरदराज क्षेत्रों से आने वाले लोग पावटा उपजिला अस्पताल पर निर्भर है। पावटा उपजिला राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर ही पावटा कस्बे मे स्थित है। जिससे हर कोई आसानी से इलाज के लिए पहुँच जाता है। लाडाकाबास स्थानांतरित करने पर मरीज लाड़ाकाबास जाने की जगह जिला अस्पताल कोटपूतली में अपना इलाज करवा सकता है।

मरीजों को लाड़ाकाबास जाने के लिए आवागमन के साधन महंगे हैं, जो आम आदमी की पहुंच से बाहर है। उन्होंने आमजन की सुविधाओं को देखते हुए उपजिला अस्पताल को पावटा मे ही रखने की मांग की है। वही उन्होंने कहाँ कि अगर 7 दिन मे आमजन की मांगो को पूरा नही किया गया तो धरना प्रदर्शन के साथ आमरण अनशन भी किया जायेगा।

इस दौरान पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर, सामाजिक कार्यकर्ता ओपी बायला, सुरेश शर्मा, विक्रम धनखड़, राजू धनखड़, करतार सिंह, रमेश यादव, विजय राठी, प्रहलाद गिठाला, रूप सिंह शेखावत, सुशील योगी, गणेश सैनी, राजीव डेहरवाल, वेदप्रकाश गिठाला, महेश स्वामी, विनोद सैनी, सीताराम सिंघल सहित जनप्रतिनिधि वह बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

चार महिलाओं सहित सात लोग घायल

निवाई। सदर थानान्तर्गत गांव कैथूनिया अहमदपुरा की ढाणी में आपसी रंजिश को लेकर सांसी समाज के दो पक्षों में झगडा हो गया। जिसमें चार महिलाओं सहित सात लोग घायल हो गए। सदर थानाधिकारी जयमल सिंह ने बताया कि अहमदपुरा की ढाणी में दो पक्षों में झगड़ा होने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को तुरंत 108 एंबुलेंस की मदद से राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निवाई में भर्ती करवाया। जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी को जिला सआदत अस्पताल टोंक रेफर कर दिया।

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम-4, जयपुर जिला जयपुर
उषा देवी विरूद्ध राधेश्याम व अन्य
दावा बाबत विभाजन सम्पत्ति, घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा
वाद सं. 79सन् 2024
बनाम श्री नन्दराज शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा, उम्र 49 वर्ष, जाति-ब्राह्मण निवासी-1/68 रेल्वे कॉलोनी, जगतपुरा, जयपुर वादी ने आपके विरूद्ध....के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 06.12.2024 को दिन में 10.30 सुबह दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर होने के लिये वचन दिया है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे मे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन मे साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपावद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह वाद ता. 30 माह 11 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
मोहर अदालत
प्रस्तुतकार
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, क्रम-4, जयपुर जिला जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी व उपायुक्त जोन-13 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
क्रमांक-ज.वि.प्र./उप/जोन-13/2024/डी-1668 दिनांक 20/11/2024
सार्वजनिक सूचना भंवरलाल नायक पुत्र मुरलीधर नायक के स्वामित्व की आवासीय प्रयोजनार्थ 90-ए शुदा भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.11.2023 द्वारा मैसर्स श्याम इण्डस्ट्रीज को बेचान करने के उपरान्त क्रेता मैसर्स श्याम इण्डस्ट्रीज जरिये पार्टनर श्री महेश कुमार अग्रवाल द्वारा इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित आवासीय प्रयोजनार्थ धारा 90-ए शुदा भूमि का व्यावसायिक प्रयोजनार्थ संशोधन हेतु ऐसी भूमि के अपने अधिकृति अधिकारी के निर्धारण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिला	खातेदार का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल (है.)	धारा 90-ए निर्णय दिनांक
1	ग्राम-हरमाडा, तहसील-रामपुरा डाबडी जिला-जयपुर	मैसर्स श्याम इण्डस्ट्रीज जरिये पार्टनर श्री महेश कुमार अग्रवाल	246	0.0100	07.08.2023 आवासीय प्रयोजनार्थ
2			247 किता-2	0.2200 कुल रकबा 0.2300	

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त भूमि का **व्यावसायिक प्रयोजनार्थ** पट्टा जारी किये जाने पर आक्षेप है, तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 20/11/24 को जारी की गयी। **प्राधिकृत अधिकारी व उपायुक्त जोन-13**
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

आम सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रस्तावित आवासीय प्रोजेक्ट ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट खसरा नं. 626/3, 627/1, 627/2 & 627/3 रेवेन्यू ग्राम टीलावाला तहसील सांगानेर जयपुर, राजस्थान जिसका कुल भूखण्ड क्षेत्र भूमि आवंटन के अनुसार 4080.00 वर्गमीटर तथा निर्मित क्षेत्र 26,549.70 वर्गमीटर है पर भवन निर्माण की पर्यावरण स्वीकृति राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) से पत्र संख्या F1(4)/SEIAA/SEAC-Raj/Sectt/Project/ Cat.8a (22827/2021-22 दिनांक 17.10.2023 को प्रदान कर दी गई है। सहमति प्रपत्र की प्रति पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) के पास उपलब्ध है।
भव्या ग्रीन बिल्डर्स
मो. 9829073498, 9829288113

सार्वजनिक सूचना दिनांक- 02.12.24
मेरे अभिभाष्य श्री दीपेन्द्र सिंह कामा पुत्र स्व0 मेजर श्री शिवसिंह जी कामा कुवर आदित्य राज सिंह पुत्र श्री दीपेन्द्र सिंह कामा एवं श्रीमती हंसराज कुमारी धर्मपत्नी श्री दीपेन्द्र सिंह कामा सभी निवासीयान 95, आनन्द बाग, कामा हाउस, अजमेर रोड जयपुर की ओर से आम जनता को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य श्री दीपेन्द्र सिंह कामा के पिता, कुवर आदित्य राज के पितामह एवं श्रीमती हंसराज कुमारी के संसुर स्व0श्री मेजर शिवसिंह जी कामा की सम्पति वाके 95 आनन्द बाग, कामा हाउस, अजमेर रोड जयपुर व खसरा नम्बर 139 में स्थित 765, वृष्ण भवन कामा कोठी, अजमेर रोड, जयपुर तथा खसरा नम्बर 140-141 अजमेर रोड जयपुर के संबंध में विभिन्न न्यायालयो में विभिन्न प्रकरण विचाराधीन है और इस संबंध में स्व श्री मेजर शिवसिंह जी कामा की पंजीकृत वसीयत दिनांक 29.01.2000 के संबंध में माननीय राज. उच्च न्यायालय के समक्ष एकलपीठ सिविल अपील सं. 1987/2012 में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पक्षकारो को सम्पति हस्तान्तरित करने के संबंध में पाबन्द किया हुआ है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था/ कम्पनी/ ट्रस्ट / समिति / फर्म या अन्य कोई विधिक व्यक्तिस्व0 श्री मेजर शिवसिंह जी कामा की मृत्युपरांत उपर्युक्तवर्णित सम्पति का क्रय / हस्तान्तरण / हित सृष्ट करता है तो विधिक रूप से शून्य है तथा उसकी स्वयं की रिस्क पर शून्यकरणीय रहेगा तथा असवैधानिक होने के कारण अमान्य होगा इसलिए सभी जन को आगाह किया जाता है कि वह उपयुक्तसम्पतियों के संबंध में कोई क्रय/ हस्तान्तरण /रहन /आनुषांगिक कार्यवाही ना करे।
जयपुर
जितेन्द्रसिंह एडवोकेट
ए-69, आचार्य विनोबा भावे नगर, नर्सरी सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर। मो. 9414824680

खोया पाया
मेरे फ्लैट संख्या 117/120 मानसरोवर जयपुर का आवंटन पत्र, कब्जा पत्र एवं डिक्लरेशन पत्र कहीं खो गया है। यदि किसी को मिले तो निम्न नम्बरों पर सूचित करें। मो. 944312138

हमारे प्लाट नं. 14/एच/131, सेक्टर-14 इंदिरा गांधी नगर योजना, जगतपुरा, जयपुर के विक्रय पत्र की मूल प्रति (रजिस्ट्री) इंदिरा गांधी नगर में कहीं गिर गए है। मिलने पर सूचित करें-वंदिता एवं विनय शर्मा-9826064696

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 397/2024
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री आलोक बेनीवाल पुत्र श्री रामचन्द्र बेनीवाल निवासी प्लॉट नं. 5/1 शहीद अमित भारद्वाज मार्ग, मालवीय नगर जयपुर-302017 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत श्रीमती कमला बेनीवाल ट्रस्ट कार्यालय पता प्लॉट नं. 5/1 शहीद अमित भारद्वाज मार्ग, मालवीय नगर जयपुर-302017 ने राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियो के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 28.11.2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 06.02.2025
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 387/2024
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री संजय शर्मा पुत्र श्री सांवर मल शर्मा निवासी 3-सी, बजरंग विहार, मुरलीपुरा स्कीम के पीछे, सीकर रोड, विश्वकर्मा इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर-302013 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत श्री पशुपति नाथ गौ सेवा समिति कार्यालय पता-3-सी बजरंग विहार, तिवाडी मार्केट, मुरलीपुरा स्कीम जयपुर ने राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियो के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 28.11.2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 04.02.2025
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

सार्वजनिक सूचना **कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज**
क्र. एफ-6( )उपा.लैण्ड(सा.प्र.)/ ननिज./2024/2202 दि.-02.12.24
मूल भूखण्ड सं. 726, सिंधी कॉलोनी, आदर्श नगर, जयपुर का आवंटन श्री हासाराम पुत्र श्री पारसराम को दिनांक 01.04.1953 को 266.66 व.ग. का रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेन्ट राजस्थान द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ अलॉटमेन्ट जारी किया। नाम हस्तान्तरण पत्र श्री धर्मदास पुत्र स्व. श्री बदलदास के नाम दिनांक 07.09.2008 को किया गया। श्री धर्मदास चचलानी पुत्र स्व. श्री बदलदास चचलानी द्वारा दिनांक 08.12.2008 को श्री राजेन्द्र आहुजा एवं श्री चन्द्रमोहन आहुजा के नाम पंजीकृत वसीयत कराई गई। श्री धर्मदास की मृत्यु दिनांक 22.08.2021 को हो जाने पर उनके पुत्र श्री राजेन्द्र आहुजा एवं श्री चन्द्र मोहन आहुजा द्वारा वसीयत के आधार पर आवेदन प्रस्तुत कर पट्टा दिये जाने हेतु आवेदन पेश किया गया है। इस बाबत किसी भी व्यक्ति संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त लैण्ड शाखा) में प्रस्तुत करें, अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद, नियमानुसार पट्टा जारी किये जाने की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।
(श्रवण कुमार विश्नोई) उपायुक्त(लैण्ड) नगर निगम जयपुर हैरिटेज

कार्यालय श्री कैलादेवी मन्दिर ट्रस्ट, कैलादेवी जिला करौली (राज.)
क्रमांक: 3082 दिनांक: 30.11.2024
GSTIN:-08AAATK3696E1ZH
निविदा सूचना
सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि श्री कैलादेवी मंदिर ट्रस्ट की परिसम्पतियो एवं श्री कैलादेवी मंदिर परिक्षेत्र में प्रति घंटा प्रति श्रमिक की दर से ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई कोड धारी पंजीकृत संवेदको से निविदाये दिनांक 15.12.2024 को साय: 05.00 बजे तक प्राप्त की जावेगी एवं दिनांक 16.12.2024 को प्रात: 11.00 बजे तक उपस्थित निविदादाताओ के साथ निविदा समित द्वारा खोली जावेगी। अमानत राशि रू. 40,000.00 ड्राफ्ट/बैकर्स चेक श्री कैलादेवी टैम्पल ट्रस्ट के नाम से निविदा फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा निविदा फॉर्म शुल्क 1000+18% = 1180/- सहित जमा करवाकर कार्यालय समय में प्राप्त कर सकते है। अन्य समस्त जानकारी www.kailadevitemple.com पर देखी जा सकेगी। एवं निविदा फॉर्म बेवसाईट से डाउनलोड करने पर निविदा शुल्क 1180.00 रू का ड्राफ्ट/बैकर्स चेक श्री कैलादेवी टैम्पल ट्रस्ट के नाम से निविदा फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
चन्द्रकान्त गणेश कुडतरकर
प्रबन्धक (प्रशासन)
श्री कैलादेवी मन्दिर ट्रस्ट

प्रदूषण नियंत्रण मंडल, द्वारा विशिष्ट छूट योजना शुरू

टोंक। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, द्वारा जारी आदेश के अनुसार उन उद्योगों/ प्रोजेक्ट/ प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक विशिष्ट छूट योजना शुरू की गई है, जो जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के तहत स्थापित या संचालित होने से पहले स्थापना की सम्मति और संचालन की सम्मति प्राप्त नहीं कर पाए है। सदस्य सचिव ने बताया कि राज्य में स्थापित/ संचालित सभी उद्योगों/ प्रोजेक्ट/ प्रतिष्ठानों को जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण मंडल) अधिनियम, 1974 तथा वायु प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण मंडल) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापना/ संचालन सम्मति राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल से प्राप्त करना आवश्यक है। राज्य मंडल की इस विशिष्ट छूट योजना''का उद्देश्य उन उद्योगों को प्रोत्साहित करना है, जो अब तक इन स्वीकृतियों के बिना काम कर रहे हैं, ताकि वे स्वीकृति प्राप्त कर पर्यावरणीय अनुपालन सुनिश्चित करे सके।

सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर तैयारियों के दिए निर्देश

- सरकार की मंशा के अनुरूप तैयारी में लगे : एडीएम
- खैरथल तिजारा जिला सचिवालय पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट की अध्यक्षता में हुई बैठक

खैरथल तिजारा जिला सचिवालय पर अधिकारियों की बैठक लेते एडीएम शिवपाल जाट।

खैरथल। बजट घोषणाओं व खैरथल। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट की अध्यक्षता में जिला सचिवालय खैरथल-तिजारा में सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रमों की तैयारियों व विभागीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा की बैठक आयोजित की गई।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने सरकार के एक वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर राज्य सरकार से मिले दिशा निर्देशों के अनुरूप तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार 12 से 15 दिसंबर तक जिलों में भी विविध कार्यक्रमों का आयोजन होना है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट ने सम्भावित मौसमी बीमारियों की रोकथाम, बिजली, पानी, सार्वजनिक आवश्यक सेवाओं की सूचारू रूप से आपूर्ति एवं समीक्षा बैठकों की अनुपालना रिपोर्ट, सम्पर्क पोर्टल, सीएमओ आदि की वर्तमान स्थिति एवं प्रगति की विभागवार समीक्षा की।

बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतनलाल भार्गव, कोषाधिकारी सुरेश कुमार बंसल, शिक्षा अधिकारी राजकुमार जैन, अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग विकास यादव, अधिशासी अभियंता पीएचईडी धर्मवीर यादव, विद्युत विभाग, सभी नगर निकायों के अधिकारी सहित अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक आयोजित

फुलेरा। कस्बे के गणगौरी बाजार स्थित श्रीरामद्वारा भवन परिसर में राजस्थान पेंशनर समाज की आवश्यक बैठक समाज के वार्षिक अधिवेशन को लेकर शक्ति सिंह की अध्यक्षता सम्पन्न हुई। जानकारी के अनुसार बैठक में आगामी 8 दिसम्बर को आयोजित होने वाले पेंशनर समाज के राज्य स्तरीय वार्षिक अधिवेशन के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की गई।

इसके अलावा बताया कि उक्त अधिवेशन में पेंशनर्स की समस्याओं तथा मांगो पर चर्चा की जायेगी। बैठक में उपस्थित सभी पेंशनर्स को अधिवेशन में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर सूर्यप्रकाश शर्मा, जगदीश प्रसाद कायथ, हनुमान सिंह परिहार, नाथूलाल महावर, विमल शर्मा, इकरामुद्दीन कुरेशी, प्रतापसिंह सुण्डाराम, फूल चन्द सोनी, अम्बा प्रसाद शर्मा, नन्दकिशोर शर्मा, प्रभु दयाल कुमावत, मदन मेहरा, सरोज गुप्ता, मूल चन्द कुमावत, श्रवण लाल, बंशीलाल कुमावत, रामस्वरूप, रामविलास कुमावत, भंवर लाल शर्मा, कैलाश चन्द, रामलाल, रतन लाल चौहान, रामस्वरूप कुम्हार सहित अन्य कई लोग उपस्थित रहे।

विद्युत विभाग के निजीकरण के विरोध में सौंपा ज्ञापन

विद्युत विभाग के निजीकरण के विरोध में उपखंड अधिकारी सुरेशकुमार हरसोलिया को ज्ञापन सौंपते हुए ग्रामीण।

निवाई। उपखंड अधिकारी कार्यालय में सोमवार को गांव सीदडा के ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के निजीकरण के विरोध में उपखंड अधिकारी सुरेशकुमार हरसोलिया को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया कि राज्य सरकार द्वारा विद्युत डिस्कॉम को निजी हाथों में सौंपने का निर्णय कर प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है।

निजीकरण हो जाने से युवाओं को डिस्कॉम में रोजगार मिलने के अवसर समाप्त हो जाएंगें। ज्ञापन देने वालों में सरपंच रामसहा पूर्व सरपंच कैलाश मीणा सीदडा, रामकिशोर मीणा, सरपंच रामसहाय मीणा, गोपाल मीणा, कृष्ण मीणा, सूरज मीणा, तेजराम मीणा, राजूलाल, नाथू, छोटूलाल स्वामी, रामनारायण गुर्जर, कानाराम जाट, धर्मराज व रामलाल सहित कई ग्रामीण मौजूद थे।

क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सांसद तिवाड़ी से भेंट की

चाकसू। चाकसू क्षेत्र एवं आस पास की समस्या समस्याओं व अयोध्या स्थित श्री नरबदा बाई सेवा आश्रम को लेकर सांसद घनश्याम तिवाड़ी से भाजपा के विशेष संपर्क प्रकोष्ठ के जिला संयोजक अवधेश शर्मा ने उनके जयपुर निवास पर शिष्टाचार भेंट की तथा क्षेत्र की समस्याओं से अवगत करवाया।

शर्मा ने बताया कि ग्राम दयापुरा से लेकर बाईपास तक रास्ता काफी खराब होने से आना-जाना मुश्किल भरा एवं परेशानी बनी रहती है वहीं क्षेत्र में पानी की समस्या रहती है आसपास के क्षेत्र में बीसलपुर पेयजल योजना का पूरी तरह से पानी नहीं मिल पा रहा है जिससे कि क्षेत्र के लोग परेशान हैं ऐसी ही समस्याओं को लेकर भाजपा के विशेष संपर्क प्रकोष्ठ के जिला संयोजक अवधेश शर्मा राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी से मिले इस पर राज्यसभा सांसद तिवाड़ी ने आश्वासन देते हुए जल्द ही समस्याओं का निराकरण करने एवं क्षेत्र का दौरा करने तथा कार्यकर्ताओं से भेंट करने की बात कही। वही राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने अयोध्या में हाल ही में नवनिर्मित श्री नरबदा बाई सेवा आश्रम की जानकारी भी ली तथा वहां पर श्रीरामलला दर्शन के लिए जाने वाले लोगों को आश्रम का लाभ मिले इस विषय पर चर्चा की। तथा श्री नरबदा बाई सेवा आश्रम के अध्यक्ष अवधेश शर्मा को निर्देशित किया।

नाम परिवर्तन
मैं सुनील कुमार जैन पुत्र सुखा लाल जैन निवासी छीपी गली बयाना तहसील बयाना भरतपुर राजस्थान-321401 मैंने अपना नाम सुनील कुमार पुत्र सुखा लाल से बदलकर सुनील कुमार जैन पुत्र सुखा लाल जैन रख लिया है आगे मुझे इसी नाम से जाना जाये।

मैं पूनम कुमारी पत्नी श्री अभिषेक खीचड, निवासी-62 पटेल नगर, निवारू रोड, झोटवाडा, जयपुर मेरी जन्म तिथि 12.04.1993 दर्ज व अंकित है जो कि गलत है जबकि मेरी सही जन्म तिथि 24.04.1993 है जो कि मेरे आधार एवं पेन कार्ड में भी दर्ज व अंकित है।

मैं आर्मी नम्बर No. JC473680F Rank NB/SUB. Swroop Singh S/o Khet Singh R/o Ummed Nagar, Balesar Stan Jodhpur Rajasthan आर्मी सर्विस रिकार्ड में मेरी धर्मपत्नी का नाम Kiran Kanwar एवं जन्मतिथि 22.03.1980 गलत दर्ज है सही नाम Nakat Kanwar एवं जन्मतिथि 20.12.1983 है, Vide Affidavit BY 016163 Jaipur. Dated 29.11.2024

I Samta Jain W/o Manoj Kumar Jain residing at 21, Sarita Vihar, Keshopura, Kamla Nehru Nagar, Jaipur, Rajasthan-302021. Do hereby solemnly affirm and state that I have changed my name from Vandana Jain to Samta Jain. In future I will be known by my changed name

I Prem kaur legally wedded spouse of army no 1175865Y Ex HAV Late Sirdar singh S/O phool singh R/O plot 13 Durga colony dher ka Balaji railway station bhawani niketan school jaipur That have changed my name from PREM KAUR (DOB 18/6/1947) To PREM KANWAR (DOB 1/1/1948) vide affidavit dated 29 nov 24 before district notary Jaipur

कार्यालय जिला परिषद करौली
क्रमांक: जिपक/लेखा/निविदा/2024/1782 दिनांक: 02.12.2024
निविदा सूचना
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनान्तर्गत वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2024-25 के तहत दिनांक 17.12.2024 से 20.12.2024 तक अन्तर जिला एक्पोजर विजिट करौली से जैसलमेर (50 व्यक्तियों) हेतु वाहन स्लीपर कोच बस व्यवस्था, चाय नाश्ता भोजन, आवास व्यवस्थाओं हेतु की जाने वाली विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए पंजीकृत फर्मों/इच्छुक प्रतिष्ठित संस्थाओं से खुली निविदाऐं आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक निविदा दाता निर्धारित शुल्क नगद/डिमाण्ड ड्राफ्ट से जमा कराकर जिला परिषद (पंचायत प्रकोष्ठ) से निविदा प्रपत्र एवं निविदा शर्ते प्राप्त कर सकते है।

निविदा बेचने की अंतिम दिनांक व समय	निविदा जमा कराने की अंतिम दिनांक व समय	निविदा खोलने की दिनांक व समय
10.12.2024 प्रात: 11.00 बजे तक	10.12.2024 दोपहर:10.12.2024 दोपहर	10.12.2024 दोपहर: 2:00 बजे तक

निविदा का विवरण sppp.raj.gov.in पर देखा जा सकता है।
NIB: ZKR2425A0339
BID: ZKR2425SSRC00477
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद करौली

भजन सत्संग एवं भंडारे में उमड़े महिला पुरुष

राजगढ़। बांदीकुई मार्ग स्थित धार्मिक आस्था के केंद्र शेखा की बगीची हनुमान मंदिर पर भजन सत्संग एवं भंडारे का